# न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1794 विधि सहरसा, दिनांक 21-6-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-51/2021 में दिनांक-20.06.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-172/2020 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-01 पन्ना एवं अन्य कागजात-103 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती मनीषा कुमारी, पति-उदय कुमार / श्रीमती पूजा कुमारी, पति-निरंजन यादव, दोनों सा0-चकला, वार्ड नं0-14, पंचायत-रघुनाथपुर, प्रखंड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९ )

आदेश पत्रक - ता0........................................................से.........................................................तक

जिला.................................................., सं0...................................................., सन् १९..................

केस का प्रकार.......................................................................................................................

| आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३ |
|---|---|---|
| 20/06/2023 | **न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा**<br>**आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-51/2021**<br>**मनीषा कुमारी.............................पुनरीक्षणकर्त्ता**<br>**-बनाम-**<br>**राज्य एवं अन्य....................................रेसपॉण्डेन्ट**<br>**-:: आदेश ::-**<br>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद मनीषा कुमारी, पति-उदय कुमार, सा0-चकला, वार्ड नं0-14, थाना-बसनही, परियोजना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-172/2020 में दिनांक-03.03.2020 को पारित आदेश के आलोक में लाया गया है।<br>वाद की सुनवाई से उभय पक्ष के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद में उनकी कोई रूचि नहीं है। अतः Dismiss for default के कारण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>(हस्ताक्षर) 20/6/23<br>प्रमंडलीय आयुक्त<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा।<br>(हस्ताक्षर) 20/6/23<br>प्रमंडलीय आयुक्त<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा। | |